



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102024-257757
CG-DL-E-08102024-257757

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4009]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 8, 2024/आश्विन 16, 1946

No. 4009]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2024/ASVINA 16, 1946

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4368(अ).—केन्द्रीय सरकार, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6 और धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री जे.एम.एच. आसन मौलाना, सदस्य, तमिलनाडु राज्य हज समिति, को उक्त अधिनियम की धारा 4 के खंड (ii) के अधीन, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए भारतीय हज समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए, तारीख 01 अप्रैल, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1564 (अ), तारीख 01 अप्रैल, 2022, में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"9. श्री जे.एम.एच. आसन मौलाना,
सदस्य, तमिलनाडु राज्य हज समिति
संख्या 15/7, विजयरागव लेन, टी. नगर,
चेन्नई-600017
सदस्य;"

[फा. सं. एचएजे-11/4/2021-एचएजे-एमओएमए-भाग(1)]

सी.पी.एस. बक्शी, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1564 (अ.), तारीख 01 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 1912(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2022, का.आ. 2234(अ) तारीख 12 मई, 2022, का.आ. 1183(अ) तारीख 07 मार्च, 2024, और का.आ. 4171(अ) तारीख 23 सितंबर, 2024 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

S.O. 4368(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3, 4, 5,6 and section 8 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002), the Central Government, hereby appoints Mr. J.M.H. Aassan Maulaana, Member, Tamil Nadu State Haj Committee as a member of Haj Committee of India, under clause (ii) of section 4 of the said Act, for a period up to 31st March, 2025 with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette, and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Minority Affairs, number S.O. 1564(E), dated the 1st April 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st April 2022, namely:--

In the said notification, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"9. Mr. J.M.H. Aassan Maulaana,
Member, Tamil Nadu State Haj Committee
No 15/7, Vijayaragava Lane, T. Nagar,
Chennai-600017
Member;"

[F. No. HAJ-11/4/2021-HAJ-MoMA-Part(1)]

C.P.S. BAKSHI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1564(E), dated the 1st April 2022 and subsequently amended vide notification number S.O. 1912(E), dated the 21st April, 2022 and S.O. 2234(E) dated 12th May, 2022 and S.O. 1183(E) dated 7th March, 2024 and S.O. 4171(E) dated 23rd September, 2024.